442

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियार म0 प्र0

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3353

निगरानी प्रकरण कमांक— सन्—2017

बसन्तरानी पुत्री बद्री प्रसाद पटेल

निवासी ग्राम पाड़े पुरवा पोष्ट छठी बम्हौरी

तहसील चन्दला जिला छतरपुर म0प्र0 —— निगरानीकर्ता

बनाम

राजेश कुमार पटेल तनय श्री जागेश्वर पटेल निवासी ग्राम पाड़ेपुरवा

पोष्ट छठी बम्हौरी तहसील चन्दला जिला छतरपुर म0प्र0 — गैर निगरानीकर्ता

18/9/17

18.9.17

(12 29.09.17

आवेदन—पत्र धारा—50 म0 प्र0 भू0रा0सं0—1959 निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय लवकुशनगर के अपील प्रकरण कमांक— 130/अपील/2012 — 13 में पारित आदेश दिनांक— 01/09/2017 से परिवेदित होकर।

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करती है कि:—

1— यह कि अनावेदक/ गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्तागणों के विरूद्ध एक अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय लवकुशनगर के न्यायालय में म्याद के बाहर प्रस्तुत की गई थी। जिसमें गैरनिगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार होने का कोई आवेदन अपील के साथ में प्रस्तुत नहीं किया है। और अपीलाधीन आदेश की सर्व प्रथम जानकारी 25/08/2012 को होना लेख की गई है। जिसकी नकल दिनांक— 11/09/2012 को प्राप्त कर ली गई तथा दिनांक— 01/10/2012 को अपील पेश की गई है। तथा 20 दिवस को समय अपीलार्थी द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3353 बसन्तरानी विरूद्ध राजेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 130/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 01-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य